हुक्म[illegible] अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,(आर.ए.एस.)
में[illegible] – 64/2017

उनवान

[illegible] एज्यूकेशन सोसायटी रजिस्टर्ड आफिस 40–41 भीलवाडा, भवन कम्यूनिटी सेन्टर न्यू फ्रेण्डस कॉलोनी नई दिल्ली जरिये श्री पवन गुप्ता निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज)
————————(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
————————(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : : दिनांक – 02.05.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने दिनांक 06.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम रायला पटवार मण्डल रायला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि पुराना **खाता संख्या 1185 के आ0न0 930/1, 956, 957, 958, 959, 963, 964, 965, 966, 966/1, 967, 969, 970, 4159/963 कुल किता 14 कुल रकबा 141–16 बीघा** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी नियत पैशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम रायला पटवार मण्डल रायला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि** पुराना **खाता संख्या 1185 के आ0न0 930/1, 956, 957, 958, 959, 963, 964, 965, 966, 966/1, 967, 969, 970, 4159/963 कुल किता 14 कुल रकबा 141–16 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक रायला को 14,200/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/64/2017 दिनांक 02.05.2017
प्रतिलिपिः–

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा